

इलिनॉय न्यायालय-आधारित किराया सहायता कार्यक्रम किरायेदार अनुदान समझौता

1. **सीबीआरएपी अनुदान।** उपरोक्त किराए केपते ("किराए की इकाई") पर किराए का भुगतान न करने के कारण बेदखली को रोकने में सहायता के लिए, मैं, उपरोक्त नाम का किरायेदार ("किरायेदार" या "अनुदानग्राही"), या उपरोक्त नाम का मकान मालिक, या उपरोक्त नाम के मकान मालिक का विधिवत अधिकृत एजेंट ("मकान मालिक"), इलिनॉय आवास विकास पराधिकार ("आईएचडीए"), जो 111 ई. वैकर ब्लूव, सुइट 1000, शिकागो, इलिनॉय - 60601 में स्थित है, से अनुरोध करता हूं कि वह अनुदानग्राही की ओर से इलिनॉय न्यायालय आधारित किराया सहायता कार्यक्रम ("सीबीआरएपी") से दस हजार डॉलर और 00/100 डॉलर (\$10,000.00) से अधिक की राशि ("सीबीआरएपी अनुदान") नहीं परदान करे। 1 अक्टूबर, 2026 से, आईएचडीए का पता 225 एन. मिशगन एवेन्यू, सुइट 800, शिकागो, इलिनॉय 60601 है। इलिनॉय मानव सेवा विभाग द्वारा आईएचडीए को बेघरपन को रोकने और समाप्त करने के लिए होम इलिनॉय कार्यक्रम के स्तर में सीबीआरएपी निधि परदान की गई है।

2. **पात्रता।** किरायेदार स्वीकार करता है कि वह निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करता है:

- (a) किरायेदार का प्राथमिक निवास किराये की इकाई है, जो इलिनॉय में स्थित है;
- (b) किराया न चुकाने के कारण किरायेदार के खिलाफ औपचारिक अदालती बेदखली कार्य वाही शुरू की गई है;
- (c) किरायेदार ने कम से कम एक महीने का किराया नहीं दिया है;
- (d) किरायेदार परिवार की कुल आय कपेतर की औसत आय के अस्सी प्रतिशत (80%) से अधिक नहीं है;
- (e) किरायेदार का मकान मालिक-किरायेदार संबंध वैध है, जिसका परमाणु आईएचडीए द्वारा स्वीकार्य पट्टा या अन्य किराये का समझौता है; और
- (f) किरायेदार को पिछले चौबीस (24) महीनों में सीबीआरएपी सहायता, जिसमें किरायेदार परत्यक्ष सहायता भी शामिल है, के लिए मंजूरी नहीं मिली है।

आईएचडीए बेदखली की सबसे पहली तारीख या अदालती कार्यवाही की प्रगति की गति के आधार पर आवेदनों को प्राथमिकता दे सकता है। आईएचडीए उम्र, लिंग, नस्ल, रंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, आप्रवासन स्थिति या नागरिकता, विकलांगता, भूतपूर्व सैनिक स्थिति या आनुवंशिक जानकारी के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

3. **अनुदान कवरेज अवधि।** सीबीआरएपी अनुदान की कवरेज अवधि सीबीआरएपी अनुदान द्वारा कवर किए गए पहले महीने के पहले दिन से शुरू होती है और सीबीआरएपी अनुदान द्वारा कवर किए गए अंतिम महीने के आखिरी दिन समाप्त होती है, जो भविष्य का कोई महीना हो सकता है। सीबीआरएपी अनुदान राशि से बकाया मासिक किराया और अधिकतम दो (2) महीने का आगामी किराया कवर हो सकता है।

4. **सीबीआरएपी अनुदान की संरचना।** जब तक अनुदानग्राही नीचे दिए गए पैराग्राफ 8 के अनुसार किरायेदार प्रत्यक्ष वित्तपोषण के अधीन नहीं है, तब तक सीबीआरएपी अनुदान का भुगतान अनुदानग्राही की ओर से मकान मालिक को जारी किया जाता है। किरायेदार प्रत्यक्ष सहायता सहित सीबीआरएपी सहायता, सहायता राशि की परवाह किए बिना, किसी भी 24 महीने की अवधि के भीतर प्रति परिवार एक बार के लाभ के रूप में उपलब्ध है।

5. **अनुदान राशि।** अनुदानग्राही समझता है कि यदि अनुदानग्राही का परिवार उपरोक्त पैराग्राफ 2 के अनुसार पात्र है, और यदि सीबीआरएपी अनुदान आवेदन को वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो सीबीआरएपी वित्तीय सहायता में अनुदान कवरेज अवधि के दौरान सत्यापित बकाया राशि, किराये की इकाई में दो (2) महीने तक का भविष्य का किराया, और बेदखली व्यय में सात सौ डॉलर और 00/100 डॉलर (\$700.00) तक शामिल हो सकता है। दी जा सकने वाली कुल सहायता दस हजार और 00/100 डॉलर (10,000.00 डॉलर) से अधिक नहीं हो सकती।

6. **इलाज का अधिकार।** कुक काउंटी (माउंट प्रॉस्पेक्ट को छोड़कर) में बेदखली का सामना कर रहे पात्र किरायेदारों को सात सौ और 00/100 डॉलर (\$700.00) तक के बकाया किराए और अदालती खर्चों के भुगतान के लिए पात्रता मिल सकती है ताकि वे शिकागो शहर के नगर पालिका कोड 5-12-130 या कुक काउंटी आवासीय किरायेदार मकान मालिक अध्यादेश के अनुसार अपने उपचार के अधिकार का प्रयोग कर सकें। पात्र होने के लिए, किरायेदारों का प्रतिनिधित्व आईएचडीए के साथ साझेदारी में एक अनुमोदित कानूनी सहायता संगठन द्वारा किया जाना चाहिए जो सीबीआरएपी के लिए सहायता प्रदान करता हो, और इस अनुदान समझौते की शर्तों सहित सीबीआरएपी आवेदन और पात्रता की अन्य सभी शर्तों को पूरा करना होगा। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो आईएचडीए अनुदानग्राही की ओर से मकान मालिक को भुगतान जारी करेगा, जो कानूनी सहायता संगठन को भेजा जाएगा। जैसा कि यहां पैराग्राफ 5 में वर्णित है, अदालती खर्चों सहित कुल सहायता राशि दस हजार और 00/100 डॉलर (\$10,000.00) तक सीमित है।

7. **असहयोगी मकान मालिक।** इस अनुदान समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यदि मकान मालिक सीबीआरएपी अनुदान आवेदन के मकान मालिक वाले हिस्से को पूरा करने से इनकार करता है, आईएचडीए द्वारा अपेक्षित मकान मालिक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, सीबीआरएपी अनुदान को सीधे मकान मालिक को वित्त पोषित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है, या किसी अन्य प्रकार से असहयोगी व्यवहार करता है, तो अनुदानग्राही नीचे पैराग्राफ 8 के अनुसार किरायेदार प्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए पात्र हो सकता है। किरायेदार प्रत्यक्ष निधि जारी करने से पहले, आईएचडीए एक संपर्क प्रक्रिया ("मकान मालिक संपर्क") में संलग्न होगा। जब तक IHDA द्वारा छूट न दी जाए, मकान मालिक से संपर्क तब पूरा माना जाएगा जब:

(a) आईएचडीए या उसके अधिकृत प्रतिनिधि ने मकान मालिक की प्रतिभागिता का अनुरोध किया है और मकान मालिक ने 14 दिनों के भीतर या सीबीआरएपी आवेदन पोर्टल बंद होने से पहले, जो भी पहले हो, जवाब नहीं दिया है; या

(b) मकान मालिक लिखित रूप में पुष्टि करता है कि वह भाग नहीं लेना चाहता है।

8. **किरायेदार द्वारा प्रत्यक्ष वित्तपोषण।** यदि मकान मालिक सहयोग नहीं करता है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 7 में बताया गया है, तो किरायेदार वैकल्पिक आवास सुरक्षित करने में सहायता के लिए सीधे किरायेदार को भुगतान की जाने वाली सीबीआरएपी निधि के लिए पात्र हो सकता है। यदि अनुदानग्राही किसी असहयोगी मकान मालिक के कारण किरायेदार प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए पात्र है, तो अनुदानग्राही को इस अनुदान समझौते की शर्तों सहित अन्य सभी सीबीआरएपी आवेदन और पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। यदि अनुदानग्राही के सीबीआरएपी अनुदान आवेदन को किरायेदार प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो दो (2) महीने तक के किराए का भुगतान किराये की इकाई में एचयूडी उचित बाजार किराए द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अनुदानग्राही को भुगतान किया जाएगा और इसका उपयोग केवल असहयोगी मकान मालिक द्वारा किराये की इकाई से बेदखली या संभावित बेदखली के बाद वैकल्पिक आवास सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा।

9. सीबीआरएपी अनुदान की स्थिति। इस अनुदान समझौते के तहत अनुदान प्राप्तकर्ता के दायित्व, अनुदानग्राही द्वारा सीबीआरएपी अनुदान निधि के आवेदन, अनुमोदन और आवंटन पर निर्भर हैं। अनुदानग्राही यह स्वीकार करता है और समझता है कि वह सीबीआरएपी अनुदान आवेदन की स्वीकृति की प्रत्याशा में इस अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, लेकिन अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा इस अनुदान समझौते पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और सहमति दिए जाने के समय ऐसा आवेदन पूर्ण नहीं होगा। अनुदानग्राही यह स्वीकार करता है और समझता है कि इस अनुदान समझौते की शर्तों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना और उनसे बाध्य होने के लिए सहमत होना किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की गारंटी नहीं है।

10. वादे, प्रमाणन और प्रतिनिधित्व। अनुदानग्राही समझता है कि जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना लागू संघीय और इलिनॉय राज्य के कानूनों का उल्लंघन है। सीबीआरएपी अनुदान स्वीकार करने की शर्त के रूप में, अनुदानग्राही 720 आईएलसीएस 5/32-2 के तहत, झूठी गवाही देने के दंड के तहत, निम्नलिखित को प्रमाणित करता है:

- (a) अनुदानग्राही पैराग्राफ 2 की न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करता है।
- (b) यदि अनुदानग्राही के सीबीआरएपी अनुदान में भावी किराए के लिए धनराशि शामिल है, तो आवास स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे भावी किराए की आवश्यकता है।
- (c) अनुदानग्राही को मिलने वाला सीबीआरएपी अनुदान, अनुदानग्राही के परिवार को प्रदान की जाने वाली किसी अन्य संघीय या राज्य वित्त पोषित किराया सहायता के समान नहीं है।
- (d) इस अनुदान आवेदन में दी गई सभी जानकारी सत्य, सटीक और पूर्ण है।
- (e) अनुदानग्राही यह समझता है कि इलिनॉय राज्य या आईएचडीए किसी भी समय अनुदानग्राही के कथनों की सटीकता की जांच कर सकता है, और अनुदानग्राही अनुरोधित सभी जानकारी और दस्तावेज़ समय पर प्रदान करेगा, जिसमें किराये की इकाई पर लागू वर्तमान या नवीनतम पट्टा या अधिभोग समझौते की पूरी तरह से हस्ताक्षरित प्रति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (f) अनुदानग्राही यह समझता है कि आईएचडीए अनुदानग्राही के सीबीआरएपी आवेदन में दी गई जानकारी का उपयोग अनुदानग्राही के परिवार की सीबीआरएपी निधि के लिए पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए करेगा, लेकिन सीबीआरएपी अनुदान प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।
- (g) किराये के बकाया भुगतान के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता के परिवार के सदस्यों (किरायेदार, सह-किरायेदार, या कोई भी पूर्णकालिक निवासी) को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
 - i. अनुदानग्राही जिस महीने के लिए सीबीआरएपी अनुदान मांग रहा है, उस महीने के दौरान किराये की इकाई में निवास किया हो;
 - ii. सीबीआरएपी आवेदन और इस अनुदान समझौते की तिथि तक किराये की इकाई में निवास किया हो; और

- iii. अनुदान अवधि के दौरान किराए के मकान को स्वेच्छा से खाली नहीं किया हो।
- (h) मकान मालिक और किरायेदार के बीच वैध संबंध रहा हो। किराये के इस मकान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मकान मालिक के परिवार का सदस्य नहीं है।
- (i) अनुदानग्राही यह समझता है कि आईएचडीए पूर्ण किए गए आवेदनों को रैंडम नंबरस आवंटित करने के लिए किसी तृतीय-पक्ष संस्था के साथ अनुबंध कर सकता है और आवेदन करना अनुदानग्राही के परिवार के लिए सहायता की गारंटी नहीं है।
- (j) अनुदानग्राही यह समझता है कि सीबीआरएपी निधि सीमित है और सभी पात्र आवेदकों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है। आईएचडीए उन आवेदनों को प्राथमिकता दे सकता है जिनमें बेदखली की तारीख नजदीक हो या अदालती कार्यवाही की गति के आधार पर प्राथमिकता तय कर सकता है।
- (k) अनुदानग्राही यह समझता है कि यदि किराये की इकाई संघीय रूप से सब्सिडी प्राप्त आवासीय या मिश्रित उपयोग वाली संपत्ति का हिस्सा है, तो सीबीआरएपी निधि का उपयोग किसी अन्य संघीय सहायता के तहत भुगतान की गई, अपेक्षित या प्रतिपूर्ति की गई लागतों के लिए नहीं किया जाएगा।
- (l) अनुदानग्राही यह समझता है कि यदि परिवार में किसी को भी सीबीआरएपी अनुदान के अलावा कोई अन्य किराया सहायता प्राप्त होती है, तो सीबीआरएपी अनुदान का उपयोग केवल किराए के उस हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है जिसका भुगतान अन्य किराया सहायता द्वारा नहीं किया जाता है।
- (m) यदि आईएचडीए ने ऐसे आवेदन को मंजूरी दे दी है जहां अनुदानग्राही और मकान मालिक के बीच एक सहमति आदेश हुआ है जिसमें अनुदानग्राही किराये की इकाई को खाली करने के लिए सहमत हो गया है, तो अनुदानग्राही सहमत तिथि तक किराये की इकाई को खाली कर देगा।

11. सीबीआरएपी अनुदान पुरस्कार निधि का अत्यधिक या गलत इस्तेमाल। अनुदानग्राही स्वीकार करता है कि यदि किसी भी कारण से, (क) सीबीआरएपी अनुदान, अनुदानग्राही के किराये के बकाया, किराये की इकाई में दो महीने के संभावित किराए, या इस अनुदान समझौते के अनुच्छेद 8 के अनुसार नए किराये के आवास को सुरक्षित करने की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि से अधिक हो जाता है; या (ख) अनुदानग्राही को आईएचडीए द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए अनुसार, गलती से भुगतान प्राप्त होता है:

अनुदानग्राही किसी भी अतिरिक्त या गलत धनराशि को तुरंत आईएचडीए को वापस कर देगा। अधिक भुगतान या गलत भुगतान के लिए चेक इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण के नाम पर देय होना चाहिए और नीचे दिए गए दो पतों में से किसी एक पर जेपी मॉर्गन चैस के माध्यम से आईएचडीए को भेजा जाना चाहिए। **कृपया चेक पर किराये की इकाई का पता और किरायेदार का नाम अवश्य लिखें।**

चेक निम्नलिखित के नाम पर देय हैं: इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण

ओवरनाइट/कूरियर का पता इस प्रकार है:
इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण

सी/ओ जेपी मॉर्गन चेस
पीओ बॉक्स 735034
131 S डीयरबोर्न, 6ठा फ्लोर
शिकागो, इलिनॉय 60603

नियमित मेल

इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण
सी/ओ जेपी मॉर्गन चेस
पीओ बॉक्स 735034
शिकागो, इलिनॉय 60673-5034

12. **राज्य कानून।** अनुदानग्राही लागू राज्य कानूनों का पालन करने के लिए सहमत है।

13. **अनुदानग्राही का डिफॉल्ट।** यदि इस अनुच्छेद 13 में परिभाषित अनुसार कोई डिफॉल्ट होता है, तो आईएचडीए, अपने विवेकाधिकार पर, मकान मालिक से आईएचडीए को अनुदानग्राही के सीबीआरएपी अनुदान की पूरी राशि के साथ-साथ उचित शुल्क, लागत और व्यय, जिसमें वकील की फीस भी शामिल है, की प्रतिपूर्ति करने की मांग कर सकता है। डिफॉल्ट होने की स्थिति में, आईएचडीए कानून या न्यायसंगतता के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों और उपायों को सुरक्षित रखता है। आईएचडीए द्वारा अपने अधिकारों या उपायों का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की देरी को उसके किसी भी अधिकार या उपाय का त्याग नहीं माना जाएगा। यदि अनुदानग्राही या किराये की इकाई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति निम्न स्थिति में है तो अनुदानग्राही "डिफॉल्ट" में माना जाएगा:

(a) इस अनुदान समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है;

(बी) इस अनुदान समझौते या सीबीआरएपी से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज के तहत अनुदानग्राही के किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, जिसमें सीबीआरएपी अनुदान आवेदन भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है;

(सी) इस अनुदान समझौते में किए गए वादों, प्रमाणों और प्रस्तुतियों के उल्लंघन में झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है या महत्वपूर्ण गलत बयान देता है;

(डी) सीबीआरएपी के किसी भी भाग के संबंध में धोखाधड़ी करता है; या

(ई) अमेरिकी अटॉर्नी जनरल द्वारा किसी भी आतंकवादी कार्रवाई में भागीदार या षड्यंत्रकारी के रूप में पहचाना जाता है।

14. **अनुदानग्राही को दी जाने वाली छूट।** आईएचडीए को देय और स्वामित्व वाली राशियाँ, आईएचडीए द्वारा भुगतान के लिए औपचारिक अनुरोध किए बिना भी वैध बनी रहती हैं। अनुदानग्राही आईएचडीए से निम्नलिखित की अपेक्षा करने के अपने अधिकार को त्यागता है:

(a) देय राशि के भुगतान के लिए औपचारिक मांग जारी करना;

(b) यह सूचना देने कि देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है; या

(c) भुगतान न होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने।

15. नोटिस जारी करना। इस अनुदान समझौते के अंतर्गत कोई भी सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल) के माध्यम से भेजी जाएगी। सभी ईमेल संदेशों के विषय में अनुदानग्राही या आवेदक का नाम, केस आईडी और किराये की इकाई का पता अवश्य होना चाहिए:

अनुदानग्राही के लिए:

किरायेदार का नाम

किराये का पता

किरायेदार केस आईडी

किरायेदार का ईमेल

आईएचडीए के लिए:

किरायेदार का नाम

किराये का पता

किरायेदार केस आईडी

Cbrap.info@ihda.org

16. आयकर संबंधी विचार। आईएचडीए अनुदानग्राही को सीबीआरएपी अनुदान के कर संबंधी प्रभावों के बारे में पेशेवर कर परामर्श लेने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित करता है और किसी भी समय आईएचडीए के कथनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

17. क्षतिपूर्ति। अनुदानग्राही यह सहमति देता है कि वह सीबीआरएपी, इस अनुदान समझौते के अंतर्गत मकान मालिक के कार्य-निष्पादन, पट्टे, किराये की इकाई, या स्वयं अनुदानग्राही से उत्पन्न होने वाले या इनसे संबंधित सभी दायित्वों, दावों, क्षतियों, हानियों और व्ययों के विरुद्ध—जिसमें कानूनी बचाव की लागत, वकील की फीस, समझौते या निर्णय शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं—चाहे वे प्रत्यक्ष मुकदमे से हों या किसी तीसरे पक्ष से, आईएचडीए और उसके सदस्यों, अधिकारियों, एजेंटों, कर्मचारियों या ठेकेदारों की क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा तथा उन्हें हानिरहित रखेगा। किसी भी परिस्थिति में, मकान मालिक, अनुदानग्राही, या आईएचडीए द्वारा इस अनुदान समझौते या सीबीआरएपी अनुदान के संबंध में प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज़ के अंतर्गत अपने दायित्वों के उल्लंघन की प्रकृति चाहे जो भी हो, आईएचडीए किसी भी परिणामी या आकस्मिक क्षति, जिसमें बिना किसी सीमा के, लाभ की हानि भी शामिल है, के लिए अनुदानग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदानग्राही परिणामी और आकस्मिक क्षति के लिए सभी दावों को त्याग देता है। अनुदानग्राही इस बात से सहमत है कि किसी भी परिस्थिति में आईएचडीए किसी भी प्रकार की क्षति के लिए अनुदानग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

18. संशोधन। इस अनुदान समझौते में आईएचडीए द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में संशोधन के अलावा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

19. दायित्वों का अस्तित्व। इस अनुदान समझौते के तहत अनुदानग्राही के दायित्व, सीबीआरएपी अनुदान के वितरण के बाद भी बने रहेंगे।

20. **समझौते का सृजन।** इस अनुदान समझौते के किसी भी खंड, भाग या प्रावधान के अमान्य होने से शेष भागों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी स्थिति में, आईएचडीए किसी अन्य प्रावधान की अमान्यता के बावजूद संप्रभु प्रतिरक्षा को माफ नहीं करता है। अनुदानग्राही इस बात से सहमत है कि यह अनुदान समझौता और इस अनुदान समझौते के तहत पक्षों के अधिकार और दायित्व इसके कानून के टकराव के सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना इलिनॉय राज्य के कानूनों द्वारा शासित होंगे। यदि एक से अधिक पक्ष इस अनुदान समझौते पर अनुदानग्राही के रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो सभी पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होने के लिए सहमत हैं।

21. **इलेक्ट्रॉनिक और प्रतिलिपि हस्ताक्षर।** आईएचडीए अपने पूर्ण विवेकाधिकार के आधार पर मूल हस्ताक्षर मांगने या इलेक्ट्रॉनिक, फैक्स या फैक्स की फोटोकॉपी पर निर्भर रहने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और अनुदानग्राही एतद्वारा आईएचडीए के एकमात्र निर्णय के आधार पर अपने हस्ताक्षर की वैधता पर आपत्ति करने के किसी भी अधिकार को त्याग देता है।

अनुदानग्राही स्वीकार करता है कि उसे एक वकील के साथ इस अनुदान समझौते की समीक्षा करने का अवसर मिला था और अनुदानग्राही इसके नियमों और शर्तों को समझता है और उनसे सहमत है।